

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</p>
<p>28-7-21</p>	<p>हु.न - 229/04</p> <p>हु.न - 229/04</p> <p>रोकने हेतु कोच व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना में समस्त पत्रावलीयों में इफजाही तारीख पेशीयों देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकिल व फरीफेन उपस्थित थे। अतः अधिकांश शीटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-9-21 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
<p>15.09.2021</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी मय वादी पक्षकार अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादी व वादी पक्षकार में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी व वादी पक्षकार की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>

